Research Paper Social Science

नक्सलवाद : समस्या एवं समाधान

प्रमोद कुमार | एम.ए., यूजीसी नेट रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग

KEYWORDS

भूमिका :–
नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है, जो वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसका प्रमुख आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की वर्ग–संघर्ष की अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी शक्ति संघर्ष से पूंजीपतियों, जमीदारों, साहुकारों और शासकों को अपना शिकार बनाते हैं। अतः इनकी मुख्य धारणा सर्वहारा शासनतंत्र की स्थापना करना है।

नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर आधारिक एक हिंसक आन्दोलन है। नक्सलवादी साम्यवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य एवं अधिकार मानते हैं। नक्सलवादियों के इस अधिकार को प्राप्त करने में जो बाधा पहुंचाते हैं, उसे समाप्त कर देना चाहिए, तभी सर्वहारा तंत्र की स्थापना हो सकेगी, ऐसी उनकी धारणा है। यद्यपि इनका वास्तविक उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है। लेकिन अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक सुरक्षा के रूप में उभरा है।

सरकारें अभी तक नक्सल समस्या की प्रकृति भी निर्धारित नहीं कर पा रही हैं। सरकारों के सामने नक्सलवाद को लेकर हमेशा यह दुविधा रही है कि इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना जाए अथवा एक सामाजिक–आर्थिक या राजनीतिक समस्या माना जाए। सरकार नक्सलवादियों के प्रति दमन की रणनीति अपना रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि यदि एक राज्य में नक्सलवादी आन्दोलन को दबाया जाता है तो वह तुरन्त अपने उग्र रूप में दूसरे राज्यों में प्रकट हो जाता है। आज तक सरकारों के द्वारा नक्सलवादी आन्दोलन का दमन करने के जो भी प्रयास किए हैं उससे नक्सलवाद के रुझान में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत नक्सलवादी हिंसक गतिविधियों में वृद्धि तथा उनके कैडर में विस्तार जरूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भी साफ कहा कि वामपंथी उग्रवाद भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह उग्रवाद हिंसक स्वरूप का है और बन्दूक के बल पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना इसका पूर्ण परिभाषित लक्ष्य है।

नक्सलवादी आन्दोलन की शुरुआत :–
नक्सलवादी आन्दोलन की शुरुआत मई 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई जब चाय बागान मालिक व पुलिस के गठजोड़ से हुए हमले में 9 महिलाओं समेत 2 बच्चे मारे गए। इस घटना ने देश की राजनीतिक बिरादरी, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया। सीपीएम की दार्जिलिंग इकाई के जिला सचिव चारु मजूमदार द्वारा तैयार कराया गया 'तराई दस्तावेज' नक्सलबाड़ी दमन के विरुद्ध प्रतिरोध का बुनियादी आधार पत्र था। नक्सलबाड़ी के आदिवासियों ने सामन्ती शोषण के विरुद्ध, भूपतियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। चारु मजूमदार तथा कानू सन्याल जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह आन्दोलन 1970–71 के बीच अपने चरम पर था। 1972 में चारु मजूमदार की मृत्यु के बाद आन्दोलन शान्त हुआ। शुरुआत में कई बुद्धिजीवियों का समर्थन इस आन्दोलन को प्राप्त हुआ। हालांकि यह नक्सल आन्दोलन कुछ वर्षों बाद सिमट गया। लेकिन नब्बे के दशक में यह फिर से जोर पकड़ने लगा। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि देश का एक चौथाई हिस्सा नक्सलवाद की चपेट में है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नामक स्थान से शुरु होने के कारण इसे 'नक्सलवाद' नाम दिया गया तथा इससे सम्बन्धित आन्दोलनकारियों को 'नक्सली' के नाम से पुकारा जाता है।

उद्देश्य :–
नक्सलवादी भारतीय राज व्यवस्था को अपना दुश्मन मानते रहे हैं। इनका उद्देश्य हिंसात्मक कार्यवाही के दम पर भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उखाड़कर सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना है। इस आन्दोलन का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है। लेकिन हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद की राह अपनाने के कारण आज हमारे समाज एवं शासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती एवं आंतरिक सुरक्षा समस्या के रूप में उभरी है।

नक्सलवादी आन्दोलन का विस्तार :–
नक्सलवादी आन्दोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू होकर आज व्यापक स्तर पर फैल गया है। वर्तमान समय में भारत के 20 राज्य और लगभग 230 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिसमें कुछ आंशिक हैं तो कुछ पूर्णरूप से 'लाल गलियारे' के रूप में जाने जाते हैं। इसमें राज्य है – पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड आदि प्रमुख हैं।

25 मई 2013 दरभा घाटी के हमले के बाद गृहमंत्रालय भी इस नतीजे पर पहुंचा था कि वाम–चरमपंथियों की लोकप्रियता व दबाव दोनों बढ़ रहे हैं। अब इनके लोग व विचार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आ गए हैं, कुछ प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में इनका प्रभाव बढ़ा है।

नक्सलवादियों के कार्यक्रम :–
1. सामंती तत्वों का विरोध।

2. सरकारी सम्पत्ति लूटना या नष्ट करना।

3. पुलिस बलों पर लगातार हमले कर जनता का सरकार पर से विश्वास डिगाने की कोशिश।

4. जन अदालतों का संचालन करना एवं बर्बरता से त्वरित न्याय करना।

5. अपने इलाके में लेवी वसूल करना और अपनी समानान्तर सत्ता चलाना।

नक्सलवादी आन्दोलन का प्रभाव :–
1. सरकार के विकास कार्यक्रम में रुकावट पैदा होता है।
2. निर्दोष लोगों की हत्याएं एवं उनका शोषण होता है।

3. सरकारी शोषण एवं निजी सम्पत्ति को बहुत अधिक नुकसान होता है।

4. आर्थिक नाकेबन्दी के समय राज्य के उत्पादन केन्द्र ठप हो जाते है जिससे सरकार की आय में प्रभाव पड़ता है।

5. सरकार को उग्रवाद से निपटने के लिए बहुत अधिक पैसा एवं समय खर्च करना पड़ता है जिसे मूलभूत समस्याओं जैसे–बेरोजगारी एवं गरीबी के निराकरण में लगाया जाना चाहिए।

नक्सलवादी आन्दोलन के चरण :–
नक्सली आन्दोलन को निम्न तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है।
1. प्रथम चरण में नक्सली बुद्धिजीवी और धन स्वामियों को निशाना बनाते थे। यह शुरुआती दौर था और तब नक्सलवाद को व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रूप में एक बुद्धिजीवी आन्दोलन के तौर पर देखा जाता था। पश्चिम बंगाल में इस आन्दोलन को व्यापक विस्तार एवं समर्थन मिला।

2. दूसरे चरण में नक्सलियों ने सशस्त्र बलों पर हमले शुरू किए। इस चरण में नक्सली आतंक का सीमा विस्तार सबसे अधिक हुआ और पूरे भारत में एक लाल गलियारे का निर्माण होने लगा। जो क्षेत्र भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, तंगहाली, विषमता और निरक्षरता से घिरे हुए थे वहां नक्सलवाद की जड़े धंसती चली गई।

3. 25 जून 2013 को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला बताता है कि अब नक्सलियों की लड़ाई तीसरे चरण में पहुंच गई है। अब उनके निशाने पर नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीतिक दल हैं।

नक्सल समस्या से निपटने के सरकारी प्रयास :–
राज्य सरकारों के प्रयास – पश्चिम बंगाल ने हथियार कानून 1970 बनाकर आम नागरिकों को नक्सलियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए सस्ते हथियार देना शुरू किया।

आन्ध्रप्रदेश सरकार ने भी 1983 में कानून पारित करके केन्द्र सरकार के संरक्षण में आन्ध्रप्रदेश सरकार ने नक्सल समूह पीपुल्स वार के साथ शांति वार्ता चलाई।

झारखण्ड व उड़ीसा सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में

शामिल होने के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि, जीवन बीमा, रोजगार प्रशिक्षण, कृषि कार्यों के लिए भूमि तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करती है।

आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा शुरू 'ग्रे हाउण्ड' अभियान के तहत लगभग 7000 नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों द्वारा पीड़ित आम लोगों को अपने पक्ष में लेकर विशेष शस्त्र प्रशिक्षण अभियान 'सलवा जुडुम' चलाया। इस योजना के अन्तर्गत हर प्रकार की प्रतिरक्षा योजना की ट्रेनिंग दी जाने लगी।

केन्द्र सरकार के प्रयास :–
भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां प्रतिरोधी अधिनियम 1967 के तहत एमसीसी, पीडब्ल्यूजी आदि नक्सल संगठनों को प्रतिबन्धित किया।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता से पुलिस आधुनिकीकरण अभियान के तहत पुलिस को विशेष हथियार, उच्च प्रशिक्षण और नई रणनीतियां सिखाती है।

केन्द्र सरकार के अति पिछड़ा जिला उन्नयन कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित 9 राज्यों के 55 अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों मे विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

2005 में सुरक्षा संबंधी खर्च योजना के तहत सरकार ने नक्सल प्रभावित 9 राज्यों के 76 जिलों में नक्सल पुनर्वास योजना, सामुदायिक कल्याण नीतियां और पुलिस अधिकारियों का बीमा आदि योजनाएं चलाई।

2007 में बनाई गई 'पुनर्वास और पुनर्नियोजन नीति' का मुख्य लक्ष्य लोगों के विस्थापन को रोकना था।

केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का पूर्ण विस्तार एवं क्रियान्वयन को कटिबद्ध है।

सितम्बर 2009 में भारतीय सुरक्षा बलों ने 'ऑपरेषन ग्रीन हंट' के तहत नक्सलयों के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही शुरू की जो वर्तमान में भी जारी है। इस अभियान से कारगर परिणाम प्राप्त हुए हैं।

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2013 में नक्सली क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास योजना 'रोशनी' का शुभारंभ किया। इस योजना को झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व मध्यप्रदेश के 24 जिलों में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत 18–35 आयु वर्ग के कुल 50000 युवक–युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

16 अप्रैल 2016 को केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में नक्सलवाद को लोकतन्त्र के समक्ष गंभीर चुनौती करार दिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ तथा अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से नक्सलवाद से निपटने के लिए सैनिक, आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी आधारभूत सुविधाएं भी दी जाएंगी।

नक्सलवाद के पनपने एवं जारी रहने के कारण :–
1. राजनीति तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं इच्छाशक्ति का अभाव।
2. गरीबी एवं बेरोजगारी।
3. निरक्षरता।
4. जनहित योजनाओं की मृगमरीचिका।
5. सामाजिक विषमताएं।
6. पिछड़े वर्ग एवं आदिवासियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना।
7. दूरस्थ इलाकों में शासन की दुर्बलता।
8. जातीय भेदभाव एवं स्थानीय समस्याएं।
9. स्थानीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं इच्छाशक्ति के अभाव में केंद्र सरकार की योजनाएं तथा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं।
10. नक्सलियों को स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है तथा इनका प्रभाव वहां अधिक बढ़ा है जहां प्रशासनिक ढांचा चरमराया हुआ है।
11. लचीली कानून व्यवस्था, विलम्बित न्याय एवं कड़े कानूनों का अभाव।
12. शोषण की पराकाष्ठाएं।
13. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में संचार एवं यातायात का अभाव।
14. पड़ौसी देशों के उग्रवाद को भारत में प्रवेश की सुगमता तथा भारत विरोधी देशों की भारत सरकार के खिलाफ नक्सलियों को आर्थिक एवं हथियारों आदि की सहायता।

नक्सल समस्या के समाधान हेतु सुझाव :–
1. नक्सलवाद सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ा है। इसका समाधान कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प और सरकारी तंत्र की नेक नीयत के आधार पर समस्या की मुख्य जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए।
2. उन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं पिछड़े आदिवासी तथा जो राष्ट्र की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं तथा नक्सलवाद से जुड़े हैं उनको विभिन्न योजनाओं द्वारा सहायता पहुंचाकर समाज की मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
3. उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार उनसे बातचीत करे, उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करे तथा उनके लिए पुनर्वास समिति का गठन होना चाहिए।
4. कुटरी उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास करना जिससे वर्गभेद की सीमाएं नियंत्रित की जा सके तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
5. आजीविकापरक एवं सर्वोपलब्ध शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे सामाजिक विषमताओं पर अंकुश लग सके।
6. कानून तथा न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देना जिससे लोगों को सहज और समय पर न्याय मिलने की सुनिश्चितता हो सके। इसके साथ ही कड़े नियमों का प्रावधान भी किया जाना चाहिए जिससे उग्रवादियों में डर पैदा हो सके।
7. समीपवर्ती राज्यों से पुलिस एवं प्रशासनिक तालमेल रखना चाहिए। उग्रवादी क्षेत्रों में स्थित स्थानों को अत्याधुनिक संचार प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार तथा विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. सरकार को भूमि सुधार कानून को ईमानदारीपूर्वक लागू करना चाहिए तथा सरकार को अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी आदि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
9. सरकार द्वारा आम लोगों की स्थानीय समस्याओं तथा उनके असन्तोष को खत्म करने के लिए नीतियों का सही कार्यान्वयन अति आवश्यक है। सरकारी नीतियों को लागू करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।
10. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकारी तंत्र उनको सभी प्रकार की आवश्यक सुरक्षा तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है।

सार संग्रह :–
आधुनिक प्रगति के युग में जहां संचार, यातायात एवं अन्य सुविधाएं आम जनता को प्राप्त हुई है उनका फायदा उठाने में नक्सली भी पीछे नहीं हैं। नक्सली इस समय में उच्च स्तर के खतरनाक तरीके अपनाने में लगे हैं। आम जनता, राजनीतिक लोगों तथा सैनिकों आदि की हत्याएं करने का नवीनतम एवं खतरनाक तरीका अपनाने लगे हैं। 2013 में नक्सलवादियों ने झारखण्ड में एक सीआरपीएफ के जवान की हत्या कर उसके पेट में से आंत निकालकर बम सील दिया था। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा तंत्र को हैरान कर दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली कितनी अधिक घिनौनी करतूतों को अंजाम दे सकते हैं। यदि नक्सलियों के हाथों में अत्याधुनिक अधिक संहारक हथियार आ गए तो मानवता के खिलाफ बर्बरता का नंगा नाच होगा।

वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार को आपसी समन्वयता दिखाते हुए नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जानी चाहिए। यह सच है कि नक्सलवादी विचारधारा सीधे तौर पर सामाजिक शोषण व आर्थिक असमानता से जुड़ी है। इसलिए सरकारों को आँकड़ों की बाजीगरी से अलग रहते हुए इन बिन्दुओं पर ठोस कार्यवाही करने की महत्ती आवश्यकता है। इससे भी बढ़कर विस्थापित आदिवासी समाज के दबे, कुचले व वंचित लोगों के लिए ईमानदारी व प्रतिबद्धता से किए गए सघन विकास कार्य भविष्य में उनको इस नक्सली विचारधारा से बाहर निकालने में संजीवनी का कार्य कर सकते हैं।

यह शुभ संकेत है कि शिक्षा तथा अन्य स्रोतों से आई जागरूकता के कारण स्थानीय लोगों ने नक्सलियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। दिसम्बर 2012 में छत्तीसगढ़ के पंखाजूर सघन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहली बार ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए बैठक का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि हम नक्सलियों को भोजन दे सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को नक्सली नहीं बनने देंगे।

इसी प्रकार की घटना के तहत 7 मई 2016 छपी खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की एक पंचायत ने नक्सलियों को गांव में प्रवेश नहीं करने का फरमान सुनाया है। उनका मानना है कि नक्सलियों के विकास विरोधी कार्यों के कारण उनके यहां न तो बिजली पहुंच पाई और न ही गांवों में सड़के बन सकी हैं। इससे प्रभावित सुकमा जिले के अनेक गांवों ने नक्सलियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए इस कार्य का जिम्मा वहां के युवाओं

ने उठाया है। युवाओं ने एक टोली तैयार की है जो परम्परागत हथियार लेकर पहरा देते हैं।

इस प्रकार यदि स्थानीय स्तर पर आई जागरूकता को बढ़ाने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वहां के आम लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए तो वहां के लोग देश की मुख्य धारा में सुदृढ़ रूप से शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो नक्सलियों के प्रभावों और कार्यक्रमों में कमी आएगी तथा धीरे–धीरे नक्सलवाद की जड़ को मिटाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विप्लवदास गुप्ता : द नक्सल मूवमैंट, 1974
2. जे.सी. जौहरी : नक्सलाइट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, रिसर्च पब्लिकेशन, 1972
3. प्रकाश सिंह : नक्सलाइट मूवमैंट इन इण्डिया, रूपा प्रकाशन, 1995
4. जोसेफस : नक्सलवाद की पृष्ठभूमि
5. सुमन्त बनर्जी : इन द वेक ऑफ नक्सलबारी : ए हिस्ट्री ऑफ द नक्सलाइट मूवमैंट पद इण्डिया, सुवर्णरेखा प्रकाशन, 1980
6. विश्वजीत सपन : आतंकवाद एक परिचय, आकृति प्रकाशन, 2011
7. पी.सी. जोशी : नक्सलिज्म एट ए ग्लैंस, कल्पज प्रकाशन, 2012
8. डॉ. एस. दास : माओइस्ट एण्ड नक्सलाइट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, सुमित इन्टरप्राइजेज, 2011
9. रविन्द्र रॉय : नक्सलाइटस एण्ड देयर आइडियोलोजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002
10. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2013
11. दैनिक भास्कर, 12 दिसम्बर 2012, पृ0 सं0 2
12. दि हिन्दू, 11 जनवरी 2013 मुख्य पृ0
13. हरिभूमि, 16 अप्रैल 2015, पृ0 सं0 4
14. दैनिक भास्कर, 7 मई 2016, पृ0 सं0 14